"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2011—माघ 22, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती गरिमा शर्मा पति श्री अजय शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी जजेस कालोनी, सिविल लाइन्स रायपुर तहसील व जिला रायपुर की हूं. मेरा विवाह दिनांक 21-11-2008 को श्री अजय शर्मा आत्मज स्व. बृजमोहन शर्मा निवासी 706 एक्बियन्स अपार्टमेन्ट गुडगांव के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ.

विवाह पूर्व मैं कुमारी गरिमा आर्य आत्मजा स्व. आर. डी. आर्य निवासी शिवाजी मार्ग टिकरापारा, बिलासपुर (छ. ग.) के नाम से जानी पहचानी व पुकारी जाती थी.

विवाह पश्चात् मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमती गरिमा शर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती गरिमा शर्मा पति श्री अजय शर्मा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम

कुमारी गरिमा आर्य
आत्मजा-स्व. आर. डी. आर्य
निवासी-शिवाजी मार्ग, टिकरापारा
बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती गरिमा शर्मा
पति-श्री अजय शर्मा
निवासी-जजेस कालोनी
सिविल लाइन्स
रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयन, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 01/ब-113/10-11

प्रारूप पांच
[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

क्रमांक/1743/प्र/अ.वि.अ./21/लो.न्यास/2011.—चूंकि शिव शक्ति चेतना ट्रस्ट, जगदलपुर न्यास प्रवर्तक, विजय वार्ड, जगदलपुर ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास के तहत् पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 14-02-2011 को विचार के लिये लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या संपत्ति में हित रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के तारीख से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुतकर्ता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	शिव शक्ति ट्रस्ट, जगदलपुर, बसंल लाल झा, न्यास प्रवर्तक 2/159, विजय वार्ड, जगदलपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, जगदलपुर के बचत खाता क्रमांक 327101010240818 जमा राशि दिनांक 07-11-2008 की स्थिति में 22,000/- रुपये (रुपये बाईस हजार मात्र)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

डी. एस. सोरी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2011.